

03

## फर्द अहकाम

(नियम 13)

GCMS  
2020/00003

28.10.2020

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री.....युना.....हलका.....निंबलकोट.....पुत्र श्री.....भासु.....जाति.....जाट.....निवासी.....(भाखेरी) गोदारी की टाणी.....

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं.03/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका..... <u>निंबलकोट</u> ..... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्..... <u>2077</u> .....में मौजा..... <u>निंबलकोट</u> .....के खसरा नंबर..... <u>177</u> .....रकबा..... <u>100 क की</u> .....किस्म भूमि..... <u>असु</u> .....पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक..... <u>29-7-2020</u> .....को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।  <b>तहसीलदार सिणधरी</b> <b>जिला-बाड़मेर</b>	
29-7-2020	<u>पत्रावली भासु पेश हुई। गैरसायल व पटवारी हलका उपस्थित। गैरसायल ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किण गण। गैरसायल को एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश है।</u>  <b>तहसीलदार सिणधरी</b> <b>जिला-बाड़मेर</b>	<u>युना 3/24</u> <u>प. निंबलकोट</u>

13-8-2020


पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफल  
अनुपास्थिते। पखारी हत्का अनुपास्थिते।  
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश हो।

  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफल  
अनुपास्थिते। पखारी हत्का उपास्थिते।  
गैर साफल को भति हत्का चेषित  
करते हुए, पत्रावली फेसल सुगार  
हो। निर्णय भत्का ले लिखा जाकर  
शामिल पत्रावली हो। निर्णय खुले  
-थापलप के सुनाला गभ। पत्रावली  
फेसल सुगार होकर दारिजल इफतर हो।

  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

  
प. निम्बलकोर